भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5024

गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा संयंत्र</u>

5024. डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपराः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा गुजरात विशेषकर सुरेन्द्र नगर जिले में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) देश में स्थापित ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (घ): सरकार ने गुजरात सहित देश में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:-

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- 30 जून, 2023 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और हानियों को माफ करना;
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा करना;
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना;
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं;
- अक्षय विद्युत की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना;
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों की अधिसूचना;
- निवेशों को आकर्षित करने और इसके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना;
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश;
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके;
- 30 करोड़ रु. तक की सीमा के ऋणों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का दर्जा।

इसके अलावा, गुजरात सरकार ने यह सूचित किया है कि उसने गुजरात सौर विद्युत नीति-2021 शुरू की है, जिसका उद्देश्य अन्य के साथ-साथ राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि करना है।

अनुलग्नक

'सौर ऊर्जा संयंत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5024 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में स्थापित सौर विद्युत क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा

(28.02.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित संचित क्षमता (मेगावाट में)
1	अंडमान और निकोबार	29.22
2	आन्ध्र प्रदेश	3996.50
3	अरुणाचल प्रदेश	5.61
4	असम	42.99
5	बिहार	159.51
6	चंडीगढ़	45.16
7	छत्तीसगढ़	252.48
8	दादर और नगर	5.46
9	दमन और दीव	40.55
10	दिल्ली	192.97
11	गोवा	7.44
12	गुजरात	4068.30
13	हरियाणा	407.83
14	हिमाचल प्रदेश	42.73
15	जम्मू और कश्मीर	20.73
16	झारखंड	48.63
17	कर्नाटक	7346.84
18	केरल	257.00
19	लक्षद्वीप	0.75
20	मध्य प्रदेश	2463.21
21	महाराष्ट्र	2289.97
22	मणिपुर	6.36
23	मेघालय	0.12
24	मिजोरम	1.53
25	नागालैंड	1.00
26	ओडिशा	401.72
27	पुडुचेरी	9.33
28	पंजाब	947.10
29	राजस्थान	5472.58
30	सिक्किम	0.07
31	तमिलनाडु	4403.48
32	तेलंगाना	3936.36
33	त्रिपुरा	9.41
34	उत्तर प्रदेश	1667.50
35	उत्तराखंड	353.41
36	पश्चिम बंगाल	149.84
कुल		**39083.67**

*****